①

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण, उ0प्र0
जगत नरायन रोड, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– मा0शि0क0 / जे0एस0एस0के0 / दिशा–निर्देश / 2014–15 / 9461-15 दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ''जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम'' के वित्तीय वर्ष 2014–15 में संचालन हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आपके जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वर्ष 2011 से संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पाँच निःशुल्क सेवाएं– निःशुल्क परिवहन सुविधा, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था), निःशुल्क जाँचे, निःशुल्क रक्त चढ़ाना (इसके एवज में मरीज के रिश्तेदार / अटेन्डेन्ट द्वारा रक्तदान करना होगा) अनिवार्य है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की वर्ष 2014–15 की राज्य कार्य योजना के अन्तर्गत इस कार्यक्रम को संचालित किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार हैं–

1. <u>निःशुल्क परिवहन सुविधाः–</u>

1.1. प्रत्येक जनपद को राजकीय चिकित्सा इकाईयों पर प्रदेश में संचालित ''102'' गाड़ियों से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करानी है। प्रदेश में 102 एम्बुलेन्स सेवा सभी को निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी है। यह 102 एम्बुलेन्स सेवा घर से चिकित्सा इकाई तक आने, चिकित्सा इकाई से घर तक जाने एवं चिकित्सा इकाई से उच्च्य इकाई के लिये सन्दर्भन, सभी परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी।

1.2. गम्भीर रूप से बीमार गर्भवती महिलाओं अथवा प्रसूताओं को उच्च चिकित्सकीय इकाईयों पर सन्दर्भित करने हेतु जनपद में उपलब्ध 108 एवं 102 की गाड़ियों, दोनों का ही उपयोग किया जा सकता है। यह मुख्य चिकित्साधिकारी व चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों का उत्तरदायित्व है कि वे आवश्यकतानुसार इन गाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर उपयोग सुनिश्चित करें।

1.3. जनपदों पर **<u>पूरी तरह 102 सेवा स्थापित होने तक</u>** यदि किसी जनपद पर 01 अप्रैल 2014 के बाद प्राइवेट अथवा उत्तर प्रदेश एम्बुलेन्स सर्विस की गाड़ियों से ड्रॉप–बैक सुविधा प्रदान की गयी है तो उसका भुगतान अधिकतम रू0 250.00 प्रति गर्भवती महिला की दर से **एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.5** में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से किया जा सकता है। जनपद के समस्त जनपद व ब्लॉक स्तरीय L-3 व L-2 प्रसव इकाईयों तक गर्भवती महिलाओं / प्रसूताओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

1.4. बहुधा यह देखा गया है कि प्रसूता के रिश्तेदार स्वयं ही 102 एम्बुलेन्स गाड़ियों को प्रसूति के पश्चात बुलाकर जल्दी घर चले जाते हैं ऐसी स्थिति में 48 घण्टे माँ व बच्चे का विशेष ध्यान चिकित्सालय पर रखना सम्भव नहीं हो पाता है। यह ध्यान रखा जाये कि चिकित्सा इकाइयों से 102 ड्रॉप–बैक सुविधा चिकित्सा प्रभारियों के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाये।

2. <u>निःशुल्क भोजन व्यवस्थाः–</u>

2.1. वर्ष 2014–15 में प्रत्येक जनपद को सभी जनपद स्तरीय व ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाईयों तक निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करानी है। वर्ष 2013–14 से जिला महिला चिकित्सालयों पर भी प्रसूताओं को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से ही भोजन प्रदान किया जाना अनिवार्य किया गया है।

2.2. यह देखा गया है कि जिला महिला चिकित्सालयों पर इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कृपया इस सम्बन्ध में सभी जिला महिला चिकित्सालयों को व्यापक निर्देश जारी कर इनके मैटरनिटी वार्डों में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के मद से अनुमोदित दर के अनुरूप ही निःशुल्क भोजन की सुविधा तत्काल उपलब्ध करा दी जाये।

2.3. सभी गर्भवती महिलाओं व प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाना है। भर्ती के दौरान निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु

--2/-

भर्ती दिवसों की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से ही सामान्य प्रसव में औसतन 02 दिवस व सीजेरियन प्रसव में औसतन 05 दिवस की अवधि की दर से धनराशि का आंगणन किया गया है। यदि चिकित्सकीय कारणों से भर्ती की अवधि बढ़ा दी जाती है तो भर्ती वाले अतिरिक्त दिनों में भी निःशुल्क भोजन की सुविधा प्रदान की जानी है एवं भोजन पर हुआ व्यय भी स्वीकृत दर पर ही बुक किया जाना है।

2.4. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भोजन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात इसमें प्रगति हुई है किन्तु कुछ जनपद अभी भी भोजन मद में अधोप्रगति दर्शा रहे हैं। जिन जनपदों पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाताओं का चयन सम्भव नहीं हो पाया है अथवा वेण्डर छोड़कर चले गये हैं, वे जिला स्वास्थ्य समिति से स्वीकृति प्राप्त कर खण्ड विकास अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के सहयोग से ब्लॉक स्तर पर अच्छे व क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों का चयन कर उनके माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करें।

2.5. सभी प्रसव इकाईयों पर प्रसवोपरान्त महिलाओं को कम से कम 48–72 घंटे तक रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाय। प्रसवोपरान्त प्रथम 48 घंटे माँ व बच्चे दोनों के लिये अति महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अधिकतर जटिलतायें व मृत्यु इस अवधि में ही होती हैं। हमारी पूरी रणनीति प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं को इस अति संवेदनशील अवधि में चिकित्सालय में चिकित्सकों की निगरानी में रखने की होनी चाहिए।

2.6. भोजन प्रदान करने हेतु धनराशि का आंगणन जिला कार्ययोजना के माध्यम से जनपदों द्वारा स्वनिर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया गया है जो **एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.4** पर प्रदर्शित है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रू0 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा। इस धनराशि से जनपद के समस्त जनपद व ब्लॉक स्तरीय L-3 व L-2 प्रसव इकाईयों तक गर्भवती महिलाओं/प्रसूताओं को चिकित्सालय में रूकने की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निःशुल्क भोजन सुविधा उपलब्ध करवाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा इकाई एवं मुख्य चिकित्साधिकारी का होगा।

2.7. अन्तिम विकल्प के रूप में यदि किसी इकाई पर ताजे भोजन की व्यवस्था न की जा सके, तो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गर्भवती महिला/प्रसूता को आधे लीटर दूध की दो थैली (लगभग रु0 40.00), दो फल तथा दो अण्डे (लगभग रु0 20.00) अथवा यदि कोई महिला अण्डे न खाती हो तो इस मूल्य के फल तथा दोनों समय अच्छे ब्राण्ड की डबलरोटी तथा 20 ग्राम अमूल/पराग का मक्खन उपलब्ध कराया जा सकता है।

2.8. राज्य स्तर से पूर्व में प्रेषित किये गये विस्तृत दिशा–निर्देशों का संज्ञान लेते हुए चयन, अनुमोदन, अनुबन्ध, रिपोर्टिंग, सत्यापन तथा भुगतान आदि की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय तथा उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का ही होगा।

2.9. देखने में आया है कि महिलाओं के नाश्ते के बाद छुट्टी हो जाने पर उनके पूरे दिवस के डाइट के आँगणन में दुविधा आती है अतः सुविधा के लिये प्रति दिवस भोजन हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 100.00 को आवश्यकतानुसार नाश्ते/लन्च/डिनर में विभक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को वेण्डर के साथ हुये अनुबन्ध में सम्मिलित कर लिया जाये। इस मद में उपलब्ध धनराशि का समायोजन लाभार्थियों द्वारा वास्तविक रूप में उपभोग की गयी सेवाओं के आधार पर किया जाय। इस सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

2.10. जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत भोजन की सुविधा प्रदान कर रही प्रत्येक स्वास्थ्य इकाई को निम्नलिखित प्रारूप पर जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर व्यवस्थित करना अनिवार्य है। भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु स्वास्थ्य इकाई के वार्ड प्रभारी को उत्तरदायित्व दिया जाये व प्रत्येक दिन उनके द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को दिये गये भोजन के विवरण को सत्यापित करते हुए हस्ताक्षर किये जायें। राज्य, मण्डल अथवा जिला स्तरीय अधिकारी जब भी अनुश्रवण हेतु चिकित्सा इकाइयों पर भ्रमण करें तो इस रजिस्टर का अवलोकन अवश्य करें।

--3/-

जे0एस0एस0के0 डाइट रजिस्टर									
					दी गयी डाइट की संख्या				
क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	भर्ती की तिथि एवं समय	प्रसव की तिथि एवं समय	चिकित्सालय से छुटटी किये जाने की तिथि एवं समय	नाश्ता@ रू0...... (डबल रोटी/दूध/अण्डा/मक्खन)	दोपहर का भोजन @ रू0......	रात्रि का भोजन @ रू0......	चिकित्सालय में भर्ती के दौरान डाइट पर हुआ कुल व्यय रू0...	वार्ड प्रभारी के हस्ताक्षर

3. नि:शुल्क उपचार (औषधि एंव कंज्यूमेबिल्स की व्यवस्था):–

3.1. समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान एवं प्रसव पश्चात सभी आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने हैं। नि:शुल्क औषधि व उपचार प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः किसी कारणवश हमारी राजकीय इकाईयों में प्रसव नहीं करा सकेंगी किन्तु प्रसव पूर्व सेवायें प्राप्त करेंगी।

3.2. इस लक्ष्य के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे आउटरीच सत्रों में गर्भवती महिलाओं को जाँचों दौरान IFA की गोलियां व अन्य आवश्यक औषधियाँ आदि भी इस मद से उपलब्ध करायी जानी हैं। अतः इस लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों से उन गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको आई0एफ0ए0 आदि औषधियों की सुविधा प्रदान की गयी हो।

3.3. संलग्नक–1 पर प्रस्तुत Essential Drug List (EDL) में सम्मिलित औषधियों एवं कन्ज्यूमेबिल्स के अतिरिक्त भी आवश्यकतानुसार एवं रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध औषधियाँ क्रय की जा सकती हैं। यह Essential Drug List (EDL) सभी चिकित्सा इकाइयों पर दवा काउण्टरों व लेबर रूम के बाहर प्रदर्शित हो व चिकित्सा इकाई प्रभारियों के पास सुलभ उपलब्ध रहे। इसे दीवार पर पेन्ट करा दें जिसके सामने दवा की उपलब्धता की स्थिति चॉक से अंकित की जा सके। ध्यान रहे कि यह सूची अनन्तिम नहीं है इसमें जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार रेट कॉन्ट्रैक्ट पर उपलब्ध औषधियाँ सम्मिलित की जा सकती हैं।

3.4. सभी मुख्य चिकित्साधिकारी जनपदीय प्रसव इकाईयों के प्रभारियों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के साथ बैठक कर उनकी वर्ष भर की आवश्यकता का आंकलन करवाकर मांगपत्र प्राप्त कर लें। तत्पश्चात उसके आधार पर आवश्यकतानुसार इकाईवार दवाईयों का क्रयादेश जारी करें। जनपद स्तर पर स्थापित एल–3 प्रसव इकाइयों (जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय) को अलग से बजट आबंटित कर दिया जाये जिससे वे स्वयं अपनी इकाइयों पर औषधियों अथवा कन्ज्यूमेबिल्स की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार की व्यवस्था जिला स्वास्थ्य समिति में चर्चा कर उनके प्रसव भार एवं आवश्यकता का आंकलन करने के पश्चात कर ली जाये।

3.5. फर्मों द्वारा आपूर्ति की सुविधा के लिये क्रयादेश वर्ष में 2 या 3 फांट में भी किया जा सकता है। सभी औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की प्राप्ति की सत्यापित रसीद जनपदीय प्रसव इकाईयों एवं ब्लाक चिकित्सा प्रभारियों के स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्य चिकित्साधिकारी सम्बन्धित फर्मों को भुगतान करें।

3.6. यदि कोई फर्म ऑर्डर करने पश्चात राजकीय नियमानुसार निर्धारित अवधि में औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की आपूर्ति नहीं करती है तो इसकी सूचना राज्य स्तर पर महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 के अधीन निदेशक, औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन को अवश्य कर दें।

3.7. इस वर्ष 2014–15 के लिये नि:शुल्क उपचार के मद में उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.1 पर उपलब्ध है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में नि:शुल्क चिकित्सा उपचार हेतु आवश्यक औषधियां एवं कन्ज्यूमेबिल्स की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

4. नि:शुल्क खून पेशाब की जांचें तथा अल्ट्रासाउण्ड सुविधा:–

4.1. नि:शुल्क जाँचें प्रदान करने का लक्ष्य जनपद में गर्भवती महिलाओं के आच्छादन को सम्मिलित करते हुये निर्धारित किया गया है जो कि जननी सुरक्षा योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस सुविधा

से उन गर्भवती महिलाओं को भी लाभ दिया जाना है जो अन्ततः सरकारी इकाईयों पर संस्थागत प्रसव नहीं करायेंगी। अतः इस लक्ष्य के सापेक्ष जनपद की प्रगति की रिपोर्ट भेजते समय आउटरीच सेवाओं व ए0एन0सी0 क्लीनिकों पर गर्भवती महिलाओं की संख्या भी सम्मिलित की जाये जिनको खून/पेशाब की जाँच सुविधा प्रदान की गयी हो।

4.2. इस वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 में भारत सरकार ने निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु उपकरण, रीएजेण्ट तथा रैपिड टेस्टिंग किट्स आदि को सम्मिलित करते हुये प्रति लाभार्थी औसतन रू0 50.00 की दर से धनराशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ए0एन0एम0 को हीमोग्लोबिन जाँच के उपकरण व यूरिन स्ट्रिप टेस्ट किट आदि पृथक से सम्मिलित किये गये हैं। प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क जाँचें उपलब्ध कराने हेतु निम्न उपकरण तथा कन्ज्यूमेबिल्स आवश्यकतानुसार राजकीय नियमों के अधीन क्रय किये जा सकते हैं।

- आर0एच0/ए0बी0ओ0 टेस्ट किट
- डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट किट
- हेपेटाइटिस–बी टेस्ट किट
- एच0आई0वी0 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट
- आवश्यक उपकरण (हीमोग्लोबिन, ग्लूकोमीटर मशीन व स्ट्रिप्स आदि)
- सामान्य पैथोलोजिकल रिएजेन्ट्स व सेमीआटोएनालाइज़र के रिएजेन्ट्स

4.3. प्रत्येक स्तर की इकाई (L-1, L-2 & L-3) पर उपलब्ध करायी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक निःशुल्क जाँचें निर्धारित की गयी हैं–

- ए0पी0एच0सी0, उपकेन्द्र तथा वी0एच0एन0डी0 (आउटरीच) स्तर पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की निःशुल्क जाँच।
- L-2/L-3 स्तर की ब्लॉक स्तर की पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 जहाँ पर लैब टेक्नीशियन/लैब असिस्टेण्ट की नियुक्ति है वहाँ– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप की निःशुल्क जाँच की सुविधा।
- L-3 स्तर की इकाइयों पर– हीमोग्लोबिन, यूरीन की जाँच, ब्लडग्रुप, GTT, HbsAg, VDRL, HIV Card test (by NACO) एवं सेमीऑटोएनालाइज़र के माध्यम से की जाने वाली जांचे।

4.4. प्रदेश में जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं कि वर्तमान में जिन जिला महिला इकाइयों पर यह सुविधा उपलब्ध है उन पर गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। इसमें उपयोग होने वाले कन्ज्यूमेबिल्स (फिल्म, जेल एवं टिशू पेपर आदि) का क्रय भी राजकीय नियमानुसार इस मद से किया जा सकता है। यदि पुरूष चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध है तो गर्भवती महिलाओं को यह सुविधा वहां उपलब्ध कराये जाने पर उन्हें भी इस मद से कन्ज्यूमेबिल्स उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

4.5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने जनपद की समस्त प्रसव इकाइयों एवं उपकेन्द्रों तथा आउटरीच सत्रों पर कार्यभार के आधार पर आवश्यक रिएजेण्ट व कन्ज्यूमेबिल्स का मांग–पत्र इकाइयों के प्रभारियों से प्राप्त कर लें एवं शीघ्र ही रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिये क्रय करने की कार्यवाही कर लें।

4.6. इस वर्ष 2014–15 के लिये निःशुल्क जांच के मद में उपलब्ध करायी जा रही उपलब्ध करायी जा रही जनपदवार धनराशि एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6.2 पर उपलब्ध है। सभी राजकीय चिकित्सा इकाईयों एवं आउट–रीच सत्रों में निःशुल्क जाँच सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी का है।

4.7. इस वर्ष 2014–15 में सभी जनपद की सभी ए0एन0एम0 को हीमोग्लोबिन नापने एवं यूरिन टेस्टिंग का उपकरण/किट उपलब्ध कराने हेतु पृथक से क्रमशः रू0–3000.00 एवं रू0–120.00 की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। हीमोग्लोबिन नापने हेतु उपकरण का विस्तृत विवरण आपको पृथक से एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0/महानिदेशालय द्वारा भेजा जायेगा।

5. निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाः–

5.1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के स्तर से निर्गत पत्रसंख्या–एस0पी0एम0यू0/जे0एस0एस0के0/93/2011–12/2652–3 दिनांक 07.12.2011 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–1019/पांच–1–2011 दिनांक 19.04.2011 द्वारा जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त

--5/-

लाभार्थी महिलाओं को रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार शासन के स्तर से जननी सुरक्षा योजना के समस्त लाभार्थियों को ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की स्थिति में कन्ज्यूमेबिल्स तथा जांचों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस लाभ के लिये सभी गर्भवती महिलायें अर्ह होंगी।

5.2. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि रक्तदान का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा ही किया जायेगा।

6. ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था–

6.1. राज्य स्तर पर ग्रीवान्स रिड्रेसल व्यवस्था के अन्तर्गत 02 टोल फ्री नं0 प्रचलित हैं – 1800–180–1900 व 1800–180–1545। इन नम्बरों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाये। पूर्ण पारदर्शिता के लिये चिकित्सालयों में सार्वजनिक स्थानों पर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं इकाई के प्रभारी के सम्पर्क नम्बर के साथ–साथ यह 02 टोल फ्री नम्बर भी प्रदर्शित होने चाहिए।

6.2. यह व्यवस्था प्रत्येक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित की जानी है। निर्देश दिये गये हैं कि जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर एक नोडल आफिसर नामित कर उसका सी0यू0जी0 नम्बर प्रदर्शित/प्रचारित कर दिया जाये। यह नम्बर चिकित्सा इकाई के बाहर नोटिस बोर्ड, ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0 आदि में पेन्ट से प्रदर्शित कर दिया जाये। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक साप्ताहिक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति सप्ताह निस्तारण कर दिया जाये।

6.3. प्रत्येक जनपद के स्तर पर टोल फ्री नम्बर की व्यवस्था होने तक जनपद मुख्यालय पर एक शिकायत पेटी भी रख दी जाय एवं माह में एक दिवस निर्धारित कर शिकायतों का प्रति माह निस्तारण किया जाये। यह व्यवस्था लागू कर राज्य स्तर पर इसके अनुपालन की सूचना अवश्य प्रेषित कर दी जाये।

7. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसारः–

7.1. यह योजना एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी तथा जन हितकारी कदम है तथा इसके अन्तर्गत मिलने वाली समस्त निःशुल्क सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों तक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। प्रचार–प्रसार के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई गई 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि में से योजना बनाकर जनपदीय स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

7.2. राज्य स्तर से एस0पी0एम0यू0–एन0एच0एम0 द्वारा जे0एस0एस0के0 पोस्टर का प्रारूप प्रेषित किया गया है। प्रत्येक जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा इकाइयों, सी0एम0ओ0 ऑफिस पर न्यूनतम 07 फिट X 5 फिट के आकार के 02–02 फ्लैक्स बैनर अथवा वॉल–पेण्टिंग करायी जायें। यह जन सामान्य को आसानी से दिखाई देने वाले स्थान जैसे ओ0पी0डी0, आई0पी0डी0, लेबर रूम आदि पर ही प्रदर्शित किया जाये।

7.3. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक्रीडिटेड उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा पंचायत घर, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर भी वॉल राइटिंग के माध्यम से जन–सामान्य को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले निःशुल्क प्रावधानों से अवगत कराया जाय।

8. पर्यवेक्षण व अनुश्रवणः–

8.1. कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का नियमित पर्यवेक्षण व अनुश्रवण स्वास्थ्य इकाई के प्रभारी, जनपदीय नोडल अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाय।

8.2. निविदा प्रक्रिया, वाउचर, लागबुक तथा प्रमाण पत्र मुद्रण आदि में होने वाला व्यय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध 4 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की धनराशि से नियमानुसार वहन किया जाए।

9. रिपोर्टिंगः–

कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित किये गये जिला स्तरीय भौतिक प्रगति का रिपोर्टिंग प्रपत्र–19 व प्रपत्र 8–3 पर नियमित रिपोर्टिंग प्रत्येक माह की 5 तारीख तक मण्डलीय अपर निदेशक के माध्यम से राज्य स्तर पर जे0एस0वाई0 सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय (mchjsy@gmail.com) को ससमय प्रेषित किया जाय।

10. वित्तीय व्यवस्था–

वर्ष 2014–15 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में विभिन्न निःशुल्क सुविधायें प्रदान किये जाने के लिये एफ0एम0आर0 कोड ए.1.6 के अन्तर्गत धनराशियां अवमुक्त की जा रही हैं।

--6/-

- जिला महिला चिकित्सालयों में निःशुल्क औषधि एवं कन्ज्यूमेबिल्स, निःशुल्क जाँचें तथा निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये उनके प्रसव भार का आंकलन कर आवश्यकतानुसार धनराशि जिला महिला चिकित्सालयों के एन0आर0एच0एम0 खाते में स्थानान्तरित कर दी जाये। इसके लिये उसी खाते का उपयोग किया जा सकता है जिसमें जननी सुरक्षा योजना के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।
- उपर्युक्त क्रम में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक मद में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भी भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- प्राविधानित धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नही करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे, अतः समस्त नियमों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

24/12/14

महानिदेशक
परिवार कल्याण

पत्रसंख्या मा0शि0क0/जे0एस0एस0के0/दिशा–निर्देश/2014–15/9546-11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2 मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3 महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ।
4 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5 समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक,जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्तचिकित्सालय,उ0प्र0।
8 महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य/नियोजन, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9 वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,एन0एच0एम0,उ0प्र0।
11 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक–एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

संयुक्त निदेशक
मातृ शिशु कल्याण

संलग्नक -1

Medicines and consumables for L1 delivery point

List of Consumables

Sr.No.	Consumables	Availability (√)
1	Absorbent Cotton Wool I.P.- 500gms	
2	Povidone Iodine Solution	
3	Savlon liquid	
4	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter	
5	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length	
6	Plain catheter 16 No.	
7	Chromic Catgut No. 1 on round body needle, No. 2 on round body needle	
8	Cord Clamp	
9	Absorbent Gauze	
10	Mucus Sucker	
11	Surgical gloves sterile BIS Free size	
12	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle	
13	Sanitary Napkins	

List of Medicines

Sr. No.	Name of Drug	Availability (√)
1	Gentamycin Inj. I.P. - 80mg/ml	
2	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg	
3	Ampicillin Cap. I.P. - 250 mg	
4	Tinidazole Tab. I.P. - 500mg	
5	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal	
6	Dicyclomine HCL Inj I.P. - 10mg/ml	
7	Oxytocin Inj. I.P. - 5 Units/ml	
8	Sodium Chloride IV Inj I.P. - 0.9% w/v	
9	Dextrose Inj. I.P. 5% - 500ml	
10	Inj Drotaverine Hydrochloride	
11	Povidone Iodine Ointment I.P. - 5% w/v	
12	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg	
13	Domperidone Tab. I.P. - 10mg	
14	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg	
15	Inj. Ethamsylate 125mgs/ml	
16	Inj. Magnesium Sulfate 50%	

संलग्नक - 1

Medicines and consumables for L2 delivery point

List of Consumables

Sr.No.	Consumables	Availability (√)
1	Absorbent Cotton Wool I.P.- 500gms	
2	Povidone Iodine Solution	
3	Savlon liquid	
4	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter	
5	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length	
6	Intra-cath Cannulas for single use - BIS Gauze 18, Length 45mm, flow rate 90ml per minute	
7	Plain catheter 16 No.	
8	Chromic Catgut No. 1 on round body needle, No. 2 on round body needle	
9	Cord Clamp	
10	Absorbent Gauze	
11	Mucus Sucker	
12	Surgical gloves sterile BIS Free size	
13	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle	
14	Sanitary Napkins	

List of Medicines

Sr. No.	Name of Drug	Availability (√)
1	Gentamycin Inj. I.P. - 80mg/ml	
2	Prostidine Inj. 250 mg	
3	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg	
4	Ampicillin Cap. I.P. - 250 mg	
5	Tinidazole Tab. I.P. - 500mg	
6	Methyl Ergometrine Inj. I.P. - 0.2mg/ml	
7	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal	
8	Dicyclomine HCL Inj I.P. - 10mg/ml	
9	Oxytocin Inj. I.P. - 5 Units/ml	
10	Hyoscine Butyl Bromide Tab I.P. - 500mg	
11	Sodium Chloride IV Inj I.P. - 0.9% w/v	
12	Dextrose Inj. I.P. 5% - 500ml	
13	Calcium Gluconate Inj. I.P. - 10% w/v	
14	Inj Drotaverine Hydrochloride	
15	Povidone Iodine Ointment I.P. - 5% w/v	
16	Lignocaine HCL Inj I.P.- 2% w/v	
17	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg	
18	Domperidone Tab. I.P. - 10mg	
19	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg	
20	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml	
21	Inj. Ethamsylate 125mgs/ml	
22	Inj. Fortwin	
23	Inj. Diazapam I.P. 10mg/ml	
24	Inj. Magnesium Sulfate 50%	
25	Inj Iron Sucrose (Containing Ferric Hydroxide Incomplex with Sucrose eg. Elemental Iron 20 mg/ml	
26	Tab. Labetelol 20, 50, 100 mg	
27	Inj Labetelol 100 mg	
28	Tab Methyldopa 250 mg	

संलग्नक - 1

ESSENTIAL DRUG LIST (EDL) Maternal Health

Medicines and consumables for L3 delivery points

Sr.No.	List of Consumables
1	Absorbent Cotton Wool I.P.- 500gms
2	Povidone Iodine Solution
3	Savlon liquid
4	Foleys Catheter, 16 No BIS, self retaining catheter
5	Infusion Equipment BIS, IV set with hypodermic needle, 21 G of 1.5 inch length
6	Intra-cath Cannulas for single use - BIS Gauze 18, Length 45mm, flow rate 90ml per minute
7	Plain catheter 16 No.
8	Chromic Catgut No. 1 on round body needle, No. 2 on round body needle
9	Cord Clamp
10	Absorbent Gauze
11	Mucus Sucker
12	Surgical gloves sterile BIS Free size
13	Surgical Spirit, B.P. 500 ml in each bottle
14	Sanitary Napkins
15	Sticking Plaster (Surgical Tape) - 2.5 cm X 9.10 m
16	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (5ml)
17	Hypodermic Syringe for single use BP/BIS (10ml)
18	Chromic Catgut No. 1-0 on round body needle
19	Suction Tube
20	Urobag
21	Sponges
22	Cotton Bandage
23	Gloves Size 6, 61/2, 7
24	Mucus Sucker
25	Mersilk No. 2, No.1 on cutting needle
26	Polyglycolic acid, braided, coated and absorbale, No.1 on 1/2 circle round body needle (VICRYL)
27	AB Gel
28	Medicated Soap
29	Spinal Needle Disposable Adult as per BIS 23 Gauze (70-90 mm without hub)
30	sterile water 10 ml
S.No.	**List of Medicines**
1	Gentamycin Inj. I.P - 80mg/ml
2	Prostidine Inj. 250 mg
3	Amoxycillin Cap. I.P. - 250mg
4	Ampicillin Cap. I.P. - 250 mg
5	Tinidazole Tab. I.P. - 500mg
6	Methyl Ergometrine Inj. I.P. - 0.2mg/ml, 0.5mg/ml
7	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal
8	Dicyclomine HCL Inj I.P. - 10mg/ml
9	Oxytocin Inj. I.P. - 5 Units/ml
10	Hyoscine Butyl Bromide Tab I.P. - 500mg
11	Sodium Chloride IV Inj I.P. - 0.9% w/v
12	Dextrose Inj. I.P. 5% - 500ml
13	Tab Ethamsylste 250 mg, 500 mg
14	Calcium Gluconate Inj. I.P. - 10% w/v
15	Povidone Iodine Ointment I.P. - 5% w/v
16	Lignocaine HCL Inj I.P.- 2% w/v
17	Ibuprofen Tab. I.P. - 400mg
18	Domperidone Tab. I.P. - 10mg
19	Paracetamol Tab. I.P. - 500mg
20	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml
21	Inj. Ethamsylate 125mgs/ml
22	Inj. Diazapam I.P. 10mg/ml
23	Inj. Magnesium Sulfate (50%, 25% w/v 2ml)
24	Inj Iron Sucrose (Containing Ferric Hydroxide Incomplex with Sucrose eg. Elemental Iron 20 mg/ml
25	Inj. Metroniadazole I.P. - 500mg/100ml
26	Tab. Cefotaxime Sodium 500 mg
27	Inj. Cefotaxime Sodium I.P. - 1gm
28	Inj Promethazine HCL 25 mg/ml
29	Diclofenac Sodium Inj. I.P. - 25mg/ml
30	Inj. Sensorcaine I.P. 0.5mg
31	Inj. Atropine Sulphate I.P. - 0.6mg/ml
32	Inj. Frusemide 10mg/ml
33	Inj Vecuronium Bromide 4mg/
34	Inj. Sodium Pentothal 500 mg
35	Inj Pentazocine 30mg/ml
36	Inj. Tramadol
37	Tab Neostigmine 15 mg
38	Inj. Neostigmine 0.5 mg /ml
39	Tab. Dexamethasone phosphate 0.5 mg, 1mg, 4 mg
40	Inj. Dexamethasone phosphate 22.7 mg/ml
41	Inj. Mephentermine 1ml amp/10 ml vial
42	Inj. Adreanaline 1:1000
43	Tab.Chlorpheniramine Maleate 4mg
44	Inj Chlorpheniramine Maleate 10mg/ml
45	Tab Metochlopromide Hydrochloride 10 mg, 15 mg
46	Tab Domperidone 10 mg
47	Lactulose (as lactulose concentrated 667 gm/ml)
48	Inj. Metochlopromide Hydrochloride 5mg/ml
49	Inj. Ranitidine 50mg
50	Inj. Ketamine 10 mg
51	Inj. Sodium Bicarbonate IV (7.5%)
52	Inj. Dextrose 5%, 10%, 25%
53	Inj. Ringer Lactate 500 ml sol
54	Inj Dextrose saline 5% glucose & 0.9% N.saline
55	Inj Normal saline 0.9%
56	Inj. Insulin (short acting, soluble) 40 IU/ml, 100 IU/ml
57	Nifedepine Capsules Tab 5 mg, 10 mg, 20 mg,
58	Etofylline+ Theophylline compound - Tab plain & SR, Inj.
59	Misoprostol Tab - 200mcg oral/vaginal
60	Inj Anti D immunoglobulin 50 I.U.
61	Inj Anti D immunoglobulin 300 I.U.
62	Inj. Dopamine 200 mg/ 5 ml
63	Tab ciprofloxacin 400 mg
64	Cap./Tab Doxycycline 100mg
65	Tab Metronidazole 400 mg
66	Tab Azithromycin 1 gram
67	Tab Secnidazole 1 grams
68	Tab Fluconazole 150 mg
69	Inj Benzathine Penicillin 2.4 MU
70	Tab Acyclovir 400 mg
71	Gamma Benzene hexachloride lotion/cream 1%
72	Podophyline tincture 25%
73	Paramethrin cream 5%
74	Tab Methyldopa 250 mg
75	Inj Labetelol 100 mg
76	Tab. Labetelol 20, 50, 100 mg
77	Tab Calcium Carbonate 300 mg, 500mg
78	Tab IFA 100 mg
79	Tab Albendazole 400

Annexure 2

Janani Shishu Suraksha Karyakram- Budget Allocation for year 2014-15

FMR- Code A 1.6			FMR- Code A 1.6.1		FMR- Code A 1.6.2					FMR- Code A 1.6.4		FMR- Code A 1.6.5		
			drugs and consumables		Diagnostics					Free Diet		Free dropback		
S/N	Division	District	GOI Approved target	Total Budget forDrugs and consumables in Lakh Rs.	Target for free Diagnostics	Budget for Diagnostics under JSSK in lakh Rs.	sets of Haemoglobin testing and urine testing Kits for ANMs	Funds for Haemoglobin testing (@Rs 3000.00) and urine testing Kits(@Rs 120.00) for ANMs	Total Budget for Diagnostics in Lakh Rs.	Target for Diet (2 days for Normal Delivery and 5 days for Caesarean)	Budget for Diet (2 days for Normal Delivery and 5 days for Caesarean)	Free Referral Transport	Budget for Free Referral Transport in Lac Rs.	Total budget for the year 2014-15 in lakh Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Agra	Agra	110450	188.25	112146	56.07	477	14.88	70.95	38,530	84.670	23,764	59.409	403.279
2	Agra	Firozabad	60250	116.53	61,168	30.58	239	7.46	38.04	22,330	49.270	13,764	34.411	238.251
3	Agra	Mainpuri	40700	76.26	41,332	20.67	278	8.67	29.34	12,867	28.760	7,916	19.79	154.150
4	Agra	Mathura	54800	85.72	55626	27.81	253	7.89	35.7	15,748	34.890	9,701	24.254	180.564
5	Aligarh	Aligarh	92450	167.00	93,856	46.93	395	12.32	59.25	34,612	75.830	21,358	53.394	355.474
6	Aligarh	Etah	45550	64.39	46240	23.12	209	6.52	29.64	12,042	26.700	7,418	18.544	139.274
7	Aligarh	Hathras	33850	82.12	34,358	17.18	177	5.52	22.7	16,486	36.330	10,164	25.41	166.560
8	Aligarh	Kasganj	37130	72.46	37,692	18.85	182	5.68	24.53	13,740	30.400	8,466	21.165	148.555
9	Allahabad	Allahabad	150280	274.34	152,568	76.28	665	20.75	97.03	40,516	92.300	24,852	62.131	525.801
10	Allahabad	Fatehpur	56260	127.97	57,113	28.56	344	10.73	39.29	23,747	52.550	14,631	36.577	256.387
11	Allahabad	Kaushambi	44240	126.45	44916	22.46	203	6.33	28.79	24,875	54.750	15,338	38.345	248.335
12	Allahabad	Pratapgarh	71830	185.61	72,922	36.46	426	13.29	49.75	24,932	57.140	15,279	38.197	330.697
13	Azamgarh	Azamgarh	102400	201.83	103968	51.98	551	17.19	69.17	41,325	90.630	25,496	63.739	425.369
14	Azamgarh	Ballia	81640	168.87	82,880	41.44	425	13.26	54.7	28,580	64.100	17,573	43.934	331.604
15	Azamgarh	Mau	44100	118.88	44,788	22.39	244	7.61	30	13,179	30.900	8,047	20.119	199.899
16	BAREILLY	BAREILLY	110280	155.99	111963	55.98	504	15.72	71.7	32,180	70.570	19,854	49.635	347.895
17	BAREILLY	Budaun	80380	212.14	81,600	40.8	371	11.58	52.38	43,648	95.700	26,929	67.324	427.544
18	BAREILLY	Pilibhit	48670	82.68	49,412	24.71	218	6.8	31.51	16,608	36.480	10,244	25.609	176.279
19	BAREILLY	Shahjhanpur	80700	135.34	81938	40.97	343	10.7	51.67	26,613	58.580	16,410	41.026	286.616
20	Basti	Basti	61950	169.35	62,890	31.45	316	9.86	41.31	25,442	57.580	15,622	39.055	307.295
21	Basti	Sant Kabir	49000	131.67	49,760	24.88	203	6.33	31.21	14,270	33.760	8,702	21.754	218.394
22	Basti	Siddharth Nagar	92160	148.90	93564	46.78	288	8.99	55.77	17,977	41.840	10,990	27.475	273.985
23	Chitrakoot	Banda	46430	135.90	47,138	23.57	305	9.52	33.09	26,150	57.670	16,120	40.3	266.960
24	Chitrakoot	Chitrakoot	23590	77.18	23,944	11.97	158	4.93	16.9	15,087	33.270	9,300	23.25	150.600
25	Chitrakoot	Hamirpur	23600	81.45	23970	11.99	251	7.83	19.82	15,674	34.570	9,662	24.155	159.995
26	Chitrakoot	Mahoba	20040	56.64	20,340	10.17	170	5.3	15.47	11,115	24.500	6,851	17.129	113.739
27	Faizabad	Ambedkar nagar	54870	102.80	55700	27.85	307	9.58	37.43	19,606	43.240	12,086	30.215	213.685
28	Faizabad	AMETHI	46370	146.22	47,077	23.54	334	10.42	33.96	28,278	62.370	17,432	43.58	286.130
29	Faizabad	Barabanki	78400	223.43	79,600	39.8	407	12.7	52.5	43,899	96.820	27,061	67.653	440.403
30	Faizabad	Faizabad	34950	141.02	35484	17.74	297	9.27	27.01	27,474	60.590	16,936	42.34	270.960
31	Faizabad	SULTANPUR	50540	152.61	51,313	25.66	294	9.17	34.83	29,522	65.100	18,199	45.496	298.036
32	Gonda	BAHRAICH	106640	233.18	108,268	54.13	370	11.54	65.67	46,031	101.520	28,375	70.937	471.307
33	Gonda	BALRAMPUR	73300	123.37	74428	37.21	236	7.36	44.57	24,245	53.470	14,945	37.362	258.772
34	Gonda	Gonda	88980	188.06	90,338	45.17	380	11.86	57.03	36,011	79.400	22,199	55.496	379.986
35	Gonda	SHRAWASTI	43350	129.33	44,012	22	140	4.37	26.37	27,255	60.100	16,801	42.004	257.804
36	Gorakhpur	DEORIA	92040	185.56	93,440	46.72	378	11.79	58.51	34,139	75.620	21,031	52.579	372.269
37	Gorakhpur	Gorakhpur	100340	236.00	101866	50.93	544	16.97	67.9	39,440	88.200	24,261	60.654	452.754
38	Gorakhpur	Kushi Nagar	99180	231.72	100,692	50.35	417	13.01	63.36	29,931	69.000	18,325	45.813	409.893

Janani Shishu Suraksha Karyakram- Budget Allocation for year 2014-15

FMR- Code A 1.6			FMR- Code A 1.6.1 drugs and consumables		FMR- Code A 1.6.2 Diagnostics					FMR- Code A 1.6.4 Free Diet		FMR- Code A 1.6.5 Free dropback		
S/N	Division	District	GOI Approved target	Total Budget forDrugs and consumables in Lakh Rs.	Target for free Diagnostics	Budget for Diagnostics under JSSK in lakh Rs.	sets of Haemoglobin testing and urine testing Kits for ANMs	Funds for Haemoglobin testing (@Rs 3000.00) and urine testing Kits(@Rs 120.00) for ANMs	Total Budget for Diagnostics in Lakh Rs.	Target for Diet (2 days for Normal Delivery and 5 days for Caesarean)	Budget for Diet (2 days for Normal Delivery and 5 days for Caesarean)	Free Referral Transport	Budget for Free Referral Transport in Lac Rs.	Total budget for the year 2014-15 in lakh Rs.
38	Gorakhpur	Kushi Nagar	99180	231.72	100,692	50.35	417	13.01	63.36	29,931	69.000	18,325	45.813	409.893
39	Gorakhpur	Maharajganj	71570	158.49	72,661	36.33	298	9.3	45.63	28,158	62.580	17,337	43.344	310.044
40	Jhansi	Jalaun	34880	97.30	35408	17.7	324	10.11	27.81	17,742	39.340	10,928	27.321	191.771
41	Jhansi	Jhansi	34900	98.93	35,448	17.72	373	11.64	29.36	15,658	34.840	9,639	24.098	187.228
42	Jhansi	Lalitpur	30850	105.09	31,316	15.66	217	6.77	22.43	18,843	42.040	11,596	28.99	198.550
43	Kanpur Nagar	AURAIYA	30750	76.65	31216	15.6	183	5.71	21.31	15,097	33.200	9,311	23.276	154.436
44	Kanpur Nagar	Etawah	33220	105.94	33,729	16.86	189	5.9	22.76	19,578	43.400	12,059	30.148	202.248
45	Kanpur Nagar	FARRUKHABAD	46050	82.30	46,748	23.37	223	6.96	30.33	17,369	38.050	10,718	26.795	177.475
46	Kanpur Nagar	Kannauj	36480	87.69	37036	18.52	208	6.49	25.01	15,101	33.690	9,293	23.231	169.621
47	Kanpur Nagar	KANPUR DEHAT	32200	91.51	32,695	16.35	249	7.77	24.12	18,571	40.760	11,456	28.641	185.031
48	Kanpur Nagar	Kanpur Nagar	71350	163.40	72,431	36.22	432	13.48	49.7	31,291	74.490	19,060	47.651	335.241
49	LUCKNOW	HARDOI	105600	226.98	107216	53.6	487	15.19	68.79	51,463	112.750	31,755	79.388	487.908
50	LUCKNOW	Kheri	93400	252.91	94,832	47.42	439	13.7	61.12	46,118	102.500	28,396	70.99	487.520
51	LUCKNOW	LUCKNOW	81140	198.98	82,371	41.19	385	12.01	53.2	43,826	95.930	27,046	67.616	415.726
52	LUCKNOW	RAEBARELI	51000	150.85	51776	25.89	339	10.58	36.47	28,072	62.100	17,296	43.241	292.661
53	LUCKNOW	Sitapur	119500	319.70	121,311	60.66	499	15.57	76.23	63,542	139.730	39,187	97.969	633.629
54	LUCKNOW	Unnao	60980	162.57	61,912	30.96	401	12.51	43.47	32,390	71.160	19,978	49.945	327.145
55	MEERUT	Baghpat	26630	48.95	27040	13.52	220	6.86	20.38	8,243	18.400	5,071	12.678	100.408
56	MEERUT	Bulandshahar	85450	148.06	86,753	43.38	401	12.51	55.89	30,147	66.150	18,598	46.495	316.595
57	MEERUT	GB Nagar	40860	58.85	41,483	20.74	144	4.49	25.23	10,772	23.550	6,648	16.621	124.251
58	MEERUT	Ghaziabad	68880	66.87	69929	34.96	175	5.46	40.42	13,985	30.600	8,630	21.576	159.466
59	MEERUT	Hapur	30970	28.77	31,440	15.72	204	6.36	22.08	5,912	12.930	3,649	9.121	72.901
60	MEERUT	MEERUT	77630	105.16	78,815	39.41	336	10.48	49.89	20,196	48.100	12,301	30.752	233.902
61	Mirzapur	Mirzapur	46730	160.16	47,446	23.72	315	9.83	33.55	27,553	61.540	16,952	42.38	297.630
62	Mirzapur	Sonbhadra	49480	111.23	50,236	25.12	196	6.12	31.24	14,359	33.100	8,792	21.977	197.547
63	Mirzapur	SRN Bhadohi	34980	92.83	35517	17.76	189	5.9	23.66	13,361	30.390	8,198	20.494	167.374
64	MORADABAD	Amroha	46100	77.63	46798	23.4	193	6.02	29.42	15,594	34.260	9,619	24.046	165.356
65	MORADABAD	Bijnaur	82230	90.83	83,480	41.74	397	12.39	54.13	15,947	35.490	9,817	24.542	204.992
66	MORADABAD	MORADABAD	76150	99.09	77,313	38.66	271	8.46	47.12	19,902	43.700	12,275	30.689	220.599
67	MORADABAD	Rampur	51200	78.96	52000	26	243	7.58	33.58	15,374	33.980	9,474	23.685	170.205
68	MORADABAD	Sambhal	57900	94.17	58,799	29.4	220	6.86	36.26	19,111	41.950	11,789	29.474	201.854
69	Saharanpur	Muzaffarnagar	60600	102.89	61,510	30.76	313	9.77	40.53	19,258	42.580	11,866	29.666	215.666
70	Saharanpur	Saharanpur	85450	114.59	86750	43.38	405	12.64	56.02	21,629	47.790	13,330	33.324	251.724
71	Saharanpur	Shamli	28000	37.31	28,412	14.21	157	4.90	19.11	8,392	18.380	5,180	12.946	87.746
72	Varanasi	chandauli	47100	108.03	47,820	23.9	281	8.77	32.67	12,180	28.650	7,434	18.585	187.935
73	Varanasi	Ghazipur	79350	186.64	80559	40.28	471	14.70	54.98	18,990	45.360	11,562	28.902	315.882
74	Varanasi	Jaunpur	92650	218.63	94,068	47.03	540	16.85	63.88	37,923	84.490	23,342	58.354	425.354
75	Varanasi	Varanasi	66100	163.84	67,120	33.56	364	11.36	44.92	22,726	51.880	13,936	34.839	295.479
	Total		4,700,000	10,110.00	4,771,704	2,385.85	23,580	735.70	3,121.55	1,828,477	4069.000	1,125,620	2814.050	20114.600